राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या–2124/2013.....जिला.....भरतपुर.....

उनवान – मैसर्स श्री गोवर्धन ऑयल मिल, भरतपुर बनाम् वा.क.अ. वृत्त–प्रतिकरापवंचन भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.01.2014	**खण्डपीठ** **श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्–पृथक् आदेश दिनांक **12.11.2013,** जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित **निर्धारण आदेश दिनांक 16.07.2013** जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61 के तहत् निर्धारण वर्ष **2011–12** के लिये पारित किया गया हैं में कायम मांग राशियों के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवदेन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान कर व ब्याज की मांग राशि कुल **₹26,79,158/–** पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री डी.कुमार एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री वैभव कासलीवाल बहस हेतु दिनांक 13.01.2014 को उपस्थित हुये। उभयपक्षीय बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है । विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है क्योंकि उक्त अस्पष्ट आदेश (Non-speaking) की श्रेणी में आते हैं। इस संबंध में अग्रिम कथन किया कि निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में घोषणा प्ररूप "सी" कुल रू0 7,83,37,950/– से समर्थित विक्रय होना अवधारित कर, उक्त के सत्यापन के अभाव में मांग राशियां कायम की गयी जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं हैं । कथन किया कि उक्त राशि में से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रू05,55,64,950/– का विक्रय मैसर्स कृष्णा एन्टरप्राईजेज़, हाथरस, यू.पी को अन्तर्राज्यीय विक्रय के अनुक्रम में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,? 1956 की धारा 12(6) के तहत् किया गया है । कथन किया कि उक्त के संबंध में जांच रिपोर्ट चाहने पर यू.पी.के वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा उक्त विधिक तथ्य की अनदेखी कर, केवल घोषणा प्ररूप "सी" के संबंध में समस्त विक्रय होना अवधारित कर, जांच रिपोर्ट भेजी गयी है एवम् तद्नुसार निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग राशियां लगातार.....2	

22.01.2014

कायम की गयी है । कथन कि उक्त विक्रय जो अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स कृष्णा एन्टरप्राईजेज को किया गया है के संबंध में अधिनियम के तहत् घोषणा प्ररूप "ई–1" जारी किया गया है । अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रोद्धरित कियेः–

1. मैसर्स सास्था एन्टरप्राईजेज़ बनाम् अपीलीय अधिकारी, कमिश्नर (सीटी) II (एफएसी), चेन्नई एण्ड अनॉदर (2011) 37 वी.एस.टी. 94

2. स्टेट ऑफ मद्रास बनाम् मैसर्स रेडियो इलैक्ट्रिकल्स लि., (1966) 18 एस. टी.सी. 222 (सु.को.)

3. 4. मै0 एग्फागवर्ट इण्डिया लि. बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु, (2001) 123 एस.टी.सी. 108 (मद्रास)

4. मै0 खेतावत इण्डस्ट्रीज़, भीनमाल बनाम् सहायक आयुक्त, जालौर 5 टैक्स अपडेट 262 (एस.बी. आर.टी.बी.)

5. वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, जोधपुर बनाम् मै0 चोपड़ा केमिकल्स, जोधपुर 2 टैक्स अपडेट 274 (डी.बी. आर.टी.बी.)

अतः उपर्युक्त वर्णित आधारों पर प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण विवादित मांग राशि **₹26,79,158/–** की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी ।

विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट कर, निर्धारण आदेश में अंकित डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्यिक खण्ड–1 हाथरस, यू.पी. के पत्रांक 1231/24.01.2013 की ओर ध्यानकिर्षत कर कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा हस्तगत अपील प्रकरण में अधिकतम राहत प्रदान कर दी गयी है । अतः वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन एवम् पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात् यह पीठ इस नतीजे पर पहुँची है कि चूंकि हस्तगत अपील प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा घोषणा प्ररूप ई–1 जारी किये जाने के पश्चात् किये गये संव्यवहार के तहत् राजस्थान राज्य की कर देयता होनें अथवा नहीं होने का महत्वपूर्ण बिन्दु अन्तवर्लित है । अतः प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन प्रथम दृष्ट्या अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में आंशिक रूप से होना प्रतीत होता है । अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम मांग रूपये में से विवादित शास्ति की मांग राशियां **₹26,79,158/–** की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में दो मोतबीर जमानतें नियमानुसार प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है। शेष मांग राशि वसूली योग्य है एवम् रोक आदेश की पालना नहीं करने की दशा में उक्त आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जायेगा। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दियेजाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।

अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

(मदन लाल)

(जे.आर.लोहिया)